न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 41/2017

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. अमरचंद पुत्र बंशीलाल		1. गिरधारी पुरी पुत्र बालुपुरी
2. नौरतमल पुत्र लालुराम		जाति-गौस्वामी, निवासी-आगेवा,
3. कमला पत्नी लालुराम		तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
जातियान-सेन, निवासीगण-आगेवा,		
तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)		

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 08.03.2017

उपस्थितः- 1. श्री भगवती प्रसाद, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 27/09/2018

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-आगेवा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) में स्थित है। खाता संख्या 19 के खसरा नम्बर 93 रकबा 09-15 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 101 रकबा 04-13 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 102 रकबा 08-10 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 121 रकबा 05-03 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 4 कुल रकबा 28-01 बीघा की कृषि भूमि पर वादीगण का मालिकाना अधिकार के रूप में शांतिपूर्वक बिना किसी रोक एज ऑफ राईट के उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है प्रतिवादी का उक्त आराजी की कृषि भूमि पर कोई हक हिस्सा व मालिकाना अधिकार नहीं है। नकल प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2069-2072 तक एवं नक्शा ट्रेश की फोटू प्रति एवं नजरी नक्शा की प्रति वादपत्र के साथ पेश है। जो वादपत्र का एक भाग माना जावें। वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि के चिपते ही प्रतिवादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 110 स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी की कृषि भूमि के बीच रेत की पुरानी माट बनी हुई हैं जो सेटलमेंट के समय से रेत की माट व खंदक लगी हुई है। जिसको प्रतिवादी ने वादीगण की अनुपस्थिति का नाजायज फायदा उटाकर दिनांक 10/02/2017 को वादीगण की जमीन की भुजा पर रेत की पुरानी खंदक(माठ) लगी हुई थी जिसे तोड़कर वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 121 रकबा 05-03 बीघा की कृषि भूमि पर अवैध कब्जा करने की नियत से गैर कानूनी रूप से वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि हड़प करने की नियत से रेत की माट तोड़कर वादीगण के हिस्से की जमीन में अवैध कब्जा करने की नियत से 40 फीट लम्बाई चौड़ाई में रेत डालकर टीला बना दिया और दिनांक 14/02/2017 को सुबह करीबन 11 बजे वादीगण खेत में गये तो मौके पर वादीगण के हिस्से की जमीन में रेत डाली एवं रेत के पास पक्का निर्माण करने की नियत से कंकरीट डाल दी तो वादीगण ने गांव में आकर औलबा दिया कि मेरे खेत में तुने रेत व कंकरीट क्यो डाली तो प्रतिवादी ने वादीगण को नाफायसा गालिया बोली और जान से मारने

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

की धमकी दी और यह भी धमकी दी कि तेरी जमीन में लाठी के बल पर पक्का निर्माण करके कब्जा करूंगा तेरी जो हो कार्यवाही कर लेना। वादीगण के हिस्से की जमीन में प्रतिवादीगण द्वारा जो अवैध पक्का निर्माण शुरू करके पानी की टंकी बनानी शुरू कर दी एवं पक्का निर्माण करके पानी की टंकी बनाई और ट्यूब वेल खुदवाया जो नजरी नक्शा में मार्क लाल रंग से दर्शाया हुआ है वादग्रस्त जमीन का नजरी नक्शा बनाकर एवं रंगीन फोटू वादपत्र के साथ पेश की जा रही है। इससे स्पष्ट अवैध निर्माण साबित है जो वादपत्र का एक भाग माना जावें। वादीगण के हिस्से में अवैध निर्माण कार्य करने से मना किया तो भी प्रतिवादी नही माना तो वादीगण संख्या 1 अमरचंद ने प्रतिवादी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु पुलिस थाना जैतारण में दिनांक 14/02/2017 को लिखित रिपोर्ट पेश की। पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर ए.सी.जे.एम. न्यायालय जैतारण में इस्तागासा दिनांक 22/02/2017 को पेश किया जो न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने हेतु धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. के तहत पुलिस थान जैतारण भेजा गया जिस पर पुलिस थानाधिकारी जैतारण ने मुकदमा संख्या..... /2017 जुर्म अंतर्गत धारा 447, 427, 323, 504 भा.द.स. में दर्ज किया जो जैर अनुसंधान है। नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति वादपत्र के साथ संलग्न है जो वादपत्र का एक भाग माना जावें। वादीगण की खातेदारी जमीन पर प्रतिवादी द्वारा बार बार गैरकानूनी रूप से कब्जा करने की नियत से रेत की खंदक तोड़ देता है इसलिए वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि की पेमाईश करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार जैतारण द्वारा टीम गठित करके दिनांक 08/11/2016 को पेमाईश करने का आदेश दिया जो पेमाईश आदेश की छायाप्रति वादपत्र के साथ संलग्न है। वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि में प्रतिवादी को गैरकानूनी रूप से अवैध पक्का निर्माण करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है न ही प्रतिवादी का मालिकाना अधिकार की कृषि भूमि है केवल मात्र लाठी के बल पर वादीगण की कृषि भूमि हड़पने की नियत से प्रतिवादी लाठी के बल पर पक्का अवैध निर्माण कार्य करके जमीन हड़पना चाहता है जो वादीगण के खातेदारी एवं मालिकाना अधिकार की कृषि भूमि में प्रतिवादी को ऐसा हरगिज नही करने देंगे यदि प्रतिवादी ने लाठी के बल पर गैरकानूनी रूप से वादीगण की खातेदारी जमीन में अवैध पक्का निर्माण करके पानी की टंकी बना दी और ट्यूब वेल खुदवादी जो अवैध है। वादीगण के हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि में अवैध पक्का निर्माण कार्य करके पानी की टंकी बनाने एवं ट्यूबवेल खुदवाने का कोई अधिकारी नही है। प्रतिवादी द्वारा जो अवैध निर्माण कार्य करके वादी के हिस्से की कृषि भूमि में पानी की अवैध टंकी बनाई एवं ट्यूबवैल खुदवाया है जिसे मेण्डेटरी प्रोहिबिटरी इंजेक्शन के प्रतिवादी के स्वयं के खर्चे से नीचे सहित खुदवाई जाकर अवैध पक्का निर्माण हटाये जाने का आदेश फरमावें एवं पूर्व की स्थिति बहाल कराई जावें अन्यथा वादीगण अपने कानूनी जायज हक हकूकों एवं मालिकाना अधिकारों से हमेशा हमेशा के लिए वंचित रह जायेगा। वादीगण द्वारा बार-बार मना करने पर भी प्रतिवादी नही मान रहा है इसलिए अवैध निर्माण कार्य रोका जाना कानूनी रूप से आवश्यक है यदि प्रतिवादी को अवैध निर्माण कार्य करने से नही रोका गया तो वादीगण को आर्थिक नुकसान होगा बार-बार कानूनी कर्यावाही करनी पड़ेगी जिससे वादीगण को खर्चे से जेर बार होना पडेगा और मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसेडिंग्स होगी इसलिए वादीगण के पास न्यायालय की शरण लेने के अलावा कोई दुसरा विकल्प नही है। इसलिए प्रतिवादी के विरुद्ध वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

(मोहनलाल खटमावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

व मेण्डेटरी एवं प्रोहीबिटरी का पेश है जो आज ही नोटिस डिसपेन्सविद किये जाने का आदेश फरमावें। वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बखुबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है और प्रतिवादी द्वारा लाठी के बल पर वादीगण की उक्त आराजी की कृषि भूमि में पक्का निर्माण करके जमीन हड़प करने को आमादा है यदि प्रतिवादी लाटी के बल पर पक्का निर्माण कार्य करने में सफल हो जाता है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं होगी। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 121 रकबा 05-03 बीघा मे रेत की खंदक तोड़कर रेत का टीला लगाने एवं कंकरीट व मेटेरियल डालकर निर्माण कार्य करने से मना किया तो नही माने बिनाय वाद दिनांक 10/02/2017 को मना किया तो नही माने और दिनांक 14/02/2017 को वादीगण संख्या एक अमरचंद खेत में गया तो प्रतिवादी द्वारा वादीगण की कृषि भूमि में कंकरीट डाल दी तो मना किया तो प्रतिवादी ने वादीगण के साथ गाली गलौच की और हाथापाई पर उतारू हुआ व ऐलानिया जान से मारने एवं लाठी के बल पर पक्का निर्माण कार्य करके कब्जा करके कृषि भूमि हड़पने की धमकी देने पर बमुकाम आगेवा में उत्पन्न हुआ और हल्का पटवारी आगेवा से दिनांक 27/02/2017 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने पर बिनाय दावा उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन्नस् वास्ते जवाब दावा तलब किये गयें। प्रतिवादी बाबजुद सम्मनस् सूचना/ तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वादी अमरचंद की ओर से वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ पत्र पी डब्लयु-1 पेश किया, सा.मि. है। बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने बहस में जाहिर किया कि उक्त विवादित आराजी में खसरा नम्बर 121 रकबा 5-03 बीघा भूमि पर प्रतिवादी दखलदांजी कर गैर कानूनी रूप से अवैध पक्का निर्माण करने का अधिकार नहीं है। न ही प्रतिवादी का मालिकाना अधिकार की कृषि भूमि है। केवल मात्र लाठी के बल पर वादीगण की कृषि भूमि हड़पने की नियत से प्रतिवादी लाठी के बल पर पक्का अवैध निर्माण कार्य करके जमीन हड़पना चाहता है जो वादीगण के खातेदारी व मालिकाना अधिकार की भूमि है। प्रतिवादी को वादीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 121 रकबा 5-03 बीघा में दखलदांजी नहीं करने एवं कोई कच्चा पक्का निर्माण आदि नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने आराजी के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बखुबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है। प्रतिवादी वादीगण के हक हिस्से की भूमि में दखलदांजी कर रहा है। लिहाजा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

(मोहनलाल घटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–::आदेश::–

अतः वादीगण का वाद डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–आगेवा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) में स्थित है। खाता संख्या 19 के खसरा नम्बर 93 रकबा 09–15 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 101 रकबा 04–13 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 102 रकबा 08–10 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 121 रकबा 05–03 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 4 कुल रकबा 28–01 बीघा की भूमि में विवादित खसरा नम्बर 121 रकबा 5–03 बीघा में वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करने एवं कोई कच्चा पक्का निर्माण आदि करने से प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाकर पांबद किया जाता हैं। डिक्री पृथक से बनाई जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर लेख्य/भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण (पाली)
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 27/09/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण (पाली)
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner